

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इन्द्रवती भवन, खण्ड-4, प्रथम एवं द्वितीय तल, नया रायपुर छत्तीसगढ़ - 492002

फोन: 0771 - 2412840, 44, 45, फैक्स: 0771 - 2412841, 2412849 Email: dgm.cg@nic.in

क्र 6598 / खनि 1 / न.क्र. 47 / 2011,

नया रायपुर, दिनांक

// आदेश //

12 4 NOV 2015

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 27 का प्रयोग करते हुये उक्त खनिजों के माइनिंग प्लान अनुमोदन के अधिकार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2690, दिनांक 14.05.2015 द्वारा जिले में पदस्थ तकनीकी अहर्ता प्राप्त उप-संचालक (ख.प्र.)/खनि अधिकारी को प्रदत्त किया गया है। जिलों में तकनीकी अधिकारी पदस्थ नहीं होने की स्थिति में संचालनालय में पदस्थ उप-संचालक (ख.प्र.)/खनि अधिकारी को उत्खनन योजना अनुमोदन के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

इसी अनुक्रम में जिन जिलों में तकनीकी अधिकारी पदस्थ नहीं है, उन जिलों हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसूची एक के भाग 'ग' एवं अनुसूची दो के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन योजना के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित पदेन अधिकारियों को संबंधित जिलो के लिये अधिकृत किया जाता है :-

स. क्र.	संचालनालय में पदस्थ उप-संचालक (ख.प्र.)	उप-संचालक (ख.प्र.), जिला रायपुर	उप-संचालक (ख.प्र.), जिला बलौदाबाजार -भाटापारा	उप-संचालक (ख.प्र.), जिला बिलासपुर	उप-संचालक (ख.प्र.), जिला कोरबा	उप-संचालक (ख.प्र.), जिला रायगढ़	खनि अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	गरियाबंद	कबीरधाम	जांजगीर-चांपा	सरगुजा	जशपुर	सुकमा
2	कांकेर	धमतरी	बेमेतरा	मुंगेली	सूरजपुर		कोण्डागांव
3	राजनांदगांव						बीजापुर
4	दुर्ग						नारायणपुर

उपरोक्त पदों पर पदस्थ संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने जिले के अतिरिक्त आबंटित जिलों के उत्खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

Signature 23/11/15

संचालक

भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

6599-608
पृ. क्र. / खनि 1 / न.क्र. 47 / 2011,

नया रायपुर, दिनांक

24 NOV 2015

प्रतिलिपि:-

1. अपर संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक (ख.प्र.) (I), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक (ख.प्र.) (II), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. उप-संचालक (ख.प्र.), जिला - की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. खनि अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Rina 23/11/15

संचालक

भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़